भारत सरकार

उपभोक्ताा माम्लेखाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्नन संख्याम148

2 जुलाई, 2019

गन्ना किसानों को देय बकाया राशि

148. श्री रितेश पाण्डेय:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गन्ना मिलों द्वारा गन्ना किसानों को देय बकाया राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) बकाया देय राशि का भुगतान न होने की वजह से गन्ना किसानों को वित्तीय संकट से राहत देने हेतु क्या उपाय किये गये हैं और किये जाने का विचार है;

(ग) मंत्रालय द्वारा गन्ना किसानों को देय बकाया राशि के चूककर्ताओं को जिम्मेदार ठहराने हेतु किन उपायों की मांग की गई है; और

(घ) गन्ने की खेती का चीनी उत्पादन से हटकर विविधकरण करने तथा इसके अन्य चीनी-आधारित उत्पादन में प्रयोग के लिए क्या उपाय किये गये हैं और किये जाने की योजना है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री

(श्री राम विलास पासवान)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

****

लोकसभा में 02-07-2019 को उत्त रार्थ तारांकित प्रश्न सं. 148 के भाग (क) से (घ) तक के उत्तमर के संदर्भ में विवरण।

(क) से (घ):

दिनांक 25.06.2019 की स्थिति के अनुसार वर्तमान चीनी मौसम 2018-19 और पिछले चीनी मौसम 2017-18 के दौरान गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य बका ए का राज्य-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

चीनी मिलों की नकदी की स्थिति में सुधार करने , ताकि वे किसानों के गन्नाा मूल्या बकाया का भुगतान करने में समर्थ हों , के उद्देश्यी से सरकार ने चीनी मौसम 2017-18 और 2018-19 में निम्नंलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) दिनांक 07.06.2018 से घरेलू बाजार में कारखाने के द्वार पर बिक्री के लिए चीनी का न्यूनतम विक्रय मूल्य (एमएसपी) 29 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया, जिससे कम मूल्य पर कोई भी चीनी मिल चीनी नहीं बेच सकती है। दिनांक 14 फरवरी , 2019 से न्यूनतम विक्रय मूल्य (एमएसपी) में और वृद्धि करते हुए इसे 31 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया गया है।

(ii) चीनी मौसम 2017-18 और 2018-19 में गन्ने की लागत की भरपाई करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(iii) चीनी के 30 लाख टन के बफर स्टॉक के अनुरक्षण हेतु रखरखाव लागत की प्रतिपूर्ति करके चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(iv) चीनी मौसम 2018-19 में, देश से चीनी के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए आंतरिक ढुलाई, मालभाड़ा, हैंडलिंग एवं अन्य प्रभारों से संबंधित व्यिय का भुगतान करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(v) चीनी मिलों को बैंकों के माध्यम से सुलभ ऋण प्रदान करना जिसके लिए सरकार एक वर्ष के लिए 7% की दर से ब्याज में छूट का वहन करेगी ताकि गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान किया जा सके।

उपर्युक्त पैरा (ii) से (v) में विस्तृत रूप से बताई गई स्कीमों के अधीन, यह उल्लेख किया गया है कि चीनी मिलों को रिलीज़ की गई निधि चीनी मिलों की ओर से गन्ना मूल्य बकायों के भुगतान के लिए सीधे किसानों के खाते में जमा करा दी जाएगी।

गन्नां (नियंत्रण) आदेश, 1966 के अनुसार गन्ना मूल्य। का भुगतान आपूर्ति के 14 दिनों के भीतर किया जाना अपेक्षित है , जिसके न किए जाने पर 14 दिनों के बाद हुई देरी की अवधि की बकाया राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से ब्यानज देय है। किसानों को गन्ना बकाया

के भुगतान के संबंध में गन्ना1 (नियंत्रण) आदेश , 1966 के प्रावधानों को लागू करने की शक्तियाँ राज्यं सरकारों के पास हैं। केन्द्री न□य सरकार किसानों के गन्ना मूल्यि बकाया का भुगतान सुनिश्चित करने और चूककर्ता मिलों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए राज्यद सरकारों को समय-समय पर परामर्श-पत्र जारी करती है तथा राज्य सरकारों के साथ बैठकों एवं वीडियो कॉनफेरेंस के माध्य म सेगन्ना बकायों की स्थिति की समीक्षा भी करती है।

गन्ने की खेती का चीनी के उत्पादन से हटकर प्रयोग करने के लिए सरकार गन्ने से इथनॉल के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। इथनॉल के उत्पादन हेतु अधिशेष गन्ने का प्रयोग करने के लिए सरकार ने पहली बार बी हेवी शीरे के साथ-साथ गन्ने के रस से इथनॉल का उत्पादन करने की अनुमति दी है। इसके अतिरिक्त , सरकार ने इथनॉल मौसम 2018-19 के दौरान इथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (ईबीपी) प्रोग्राम के अंतर्गत आपूर्ति करने के लिए सी-हेवी शीरे और बी-हेवी शीरे/गन्ने के रस से उत्पादित इथनॉल के अलग-अलग लाभकारी मूल्य भी निर्धारित किए हैं।

*****

अनुबंध

लोकसभा में दिनांक 02.07.2019 को उत्तारार्थ तारांकित प्रश्नद संख्याण 148 के उत्तेर के भाग (क) से (घ) में उल्लिसखित अनुबंध

(करोड़ रुपए में)

वर्तमान चीनी मौसम और पिछले चीनी मौसम में गन्नाप किसानों की राज्यन-वार बकाया राशि दर्शाने वाला विवर(दिनांक 25.06.2019 की स्थिति के अनुसार)				
क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**2018-19**	**2017-18**	**कुल**
1	**बिहार**	923	26	949
2	**हरियाणा**	293	0	293
3	**पंजाब**	925	39	964
4	**उत्तराखंड**	542	108	650
5	**उत्तर प्रदेश**	10134	49	10183
6	**आंध्र प्रदेश**	289	7	296
7	**तेलंगाना**	155	0	155
8	**गुजरात**	907	1	908
9	**महाराष्ट्र**	1338	62	1400
10	**कर्नाटक**	1704	5	1709
11	**तमिलनाडु**	362	0	362
12	**पुद्दुचेरी**	0	0	0
13	**छत्तीसगढ़**	106	2	108
14	**ओडिशा**	75	0	75
15	**मध्य प्रदेश**	83	4	87
16	**गोवा**	4	0	4
	समग्र भारत	**17840**	**303**	**18143**

*****